न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या – 68 / 2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01 मेनाराम पुत्र जगाराम जाति पटेल 02 श्रीमती सुखी पत्नी मेनाराम 03 श्रीमती शायरी पत्नी भवाराम सभी जातियान पटेल निवासीगण धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 04 सीमाराम पुत्र मेनाराम जाति पटेल निवासी देवली तहसील रोहिट जिला पाली 05 भागाराम पुत्र जयकरणराम जाति पटेल निवासी रोहिचा खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01 कैलाश पुत्र [illegible] 02 हीरा राम पुत्र [illegible] 03 कालूराम पुत्र [illegible] 04 पुनमाराम पुत्र [illegible] 05 [illegible] पुत्र पुनमाराम 06 करनाराम पुत्र [illegible] सभी जातियान पटेल निवासीगण धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 07 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरस्ती

उपस्थिति –

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक – 30/12/2020

वादीगण के वाद तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद बाबत घोषणात्मक डिक्री हेतु पेश किया जिसमें वादीगण का कथन रहा है कि ग्राम धुंधाड़ा तहसील लूणी के खेत खसरा नं 512 रकबा 56 बीघा 2 बिस्वा 16 बिस्वासी भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है जिस बाबत अन्य सहखातेदारान द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में आममुख्त्यार नामा दिया हुआ है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डो में काट दिया तथा जिसमें से भू–भाग संख्या 60,61,57,58 59,67,66,65वी, 116 एवं 10 वादीगण को अलग–अलग बेचाननामा द्वारा विक्रय कर दिये गये जो बेचाननामे रजिस्टर्ड है। तथा उक्त खरीद से ही वादीगण काबिज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे वादीगण का नाम इन्द्राज नही किया गया। जबकि वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति मे वादीगण को अपने खरीदशुदा कृषि भू–भाग का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाने की डिक्री प्रदान करे।

वादीगण के दावा को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से सहमति का जवाब दावा एव राजीनामा प्रस्तुत किया गया। स्वीकार किया कि खसरा नं 512 में से कृषि भू–भाग वादीगण को बेचान किये तथा बेचाननामा रजिस्टर्ड करवाया एवं कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा खरीदशुदा भू–भाग के राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज किये जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। सहमति के साथ राजीनामा पेश किया गया तथा अपने जवाब दावा मे वादी का वाद स्वीकार किया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति मे पक्षकारान के मध्य कोई विवाद की स्थिति तो नजर नही आती है परन्तु उक्त वाद मे वर्णित छोटे छोटे कृषि भूखण्ड पैतृक नही होकर वादी नैनाराम के क्रय शुदा है जो पत्रावली के संलग्न विक्रय विलेख दस्तावेज से साबित है इस स्थिति मे प्रतिवादीगण की सहमति एवं राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद डिकरी नही किया जा सकता है। वादीगण द्वारा मात्र स्टाम्प डयूटी बचाने की नियत से वाद प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है । अतः वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2020 को सरे इजलास मे सुनाया गया।

30/12/20

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)

न्यायाधिकारी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी ।

लूणी

Scanned by CamScanner